न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्याः– 164/2021

प्रार्थीगणः–

1. रतनाराम पुत्र बगदाराम जाति मेघवाल निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. हीराचन्द पुत्र मिश्रीमल जाति ओसवाल निवासी हुण्डिया कृषि फार्म निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. उगमराज पुत्र मिश्रीमल जाति ओसवाल निवासी हुण्डिया कृषि फार्म निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :–**1. श्री खीमाराम अधिववक्ता प्रार्थीगण**
2.श्री ललित जांगिड़ अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2

–: आदेश :–

दिनांक :–11.06.22

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि खसरा संख्या 216 रकबा 2.0487 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम मोजा ग्राम सिवना विप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी का आया हुई है। प्रार्थी के खेत के आवागमन का एक मात्र रास्ताप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 217 के बदिशा पूर्व में स्थित खसरा संख्या 216 विप्रार्थीगण के बदिशा उत्तरी माठ माठ होते हुए अपने खातेदारी खेत में आवगमन कर रहा था जो प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट''अ''में बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदर सिवाना द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2022/346 दिनांक 28.03.2022 के जरिये मौका रिपोर्ट पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

विप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त । विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री ललित जांगिड़ उपस्थित हुये व विप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश कर निवेदन किया कि मौके पर प्रार्थी के कथनानुसार रास्ता उपलब्ध न होकर प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' मे स्पष्ट तौर से प्रार्थी के खेत के बदिशा उतर में खसरा संख्या 218 में रास्ता मौजूद है उक्त भूमि सरकारी भूमि पूरी तरह से खुली पडी है जहां से प्रार्थी का आवगमन निरन्तर चालू है, प्रार्थी का आवगमन उक्त भूमि से चालू है ऐसी सूरत में वादग्रस्त खेत के लिये जब रास्ता मौजूद है तथा रास्ता उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है जो मौके पर स्पष्ट रूप से चालू हालात में है तथा मौके पर आज रोज भी रास्ता चल रहा है अतः विप्रार्थीगण का जबाब स्वीकार किया जाकर प्रार्थी काप्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दिनांक 08.04.2022 को विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट पर आपित्त प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ने विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बिना नोटिस दिये एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई है मौका रिपोर्ट विप्रार्थीगण की गौर मौजदूगी में एकपक्षीय रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय श्री में पेश की मौके कीस्थिति भौतिक स्थित से पूरी तरह भिन्न है। जिस पर दोनो पक्षकारन के अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया पत्रावली पर पेश मौका फर्द दिनांक का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन मौका फर्द से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई उस पर भू.अ.निरीक्षक सिवाना द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जरिये वाट्सअप नोटिस भेजे जाने का उल्लेख किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने हेतु नोटिस नियमानुसार तामिल हो चुके थे साथ ही भू.अ.निरीक्षक सिवाना ने अपने मौका फर्द मे स्पष्ट रूप से आंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवगमन हेतु सबसे नजदीक रास्ता है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के खेत में आवगमन हेतु मौजूद नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251 A पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 217 बीघा सरहद मौजा सिवाना तहसील सिवाना में अवस्थित है जिसमें कृषि कार्य हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 216 के बदिशा उत्तरी माठ माठ होते हुये संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ ''अ'' अनुसार आवगमन करता है जो प्रार्थी के खेत में आगवमन हेतु सबसे नजदीकी रास्ता है इसके अतिरिक्त प्रार्थी के खेत में

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माफिक परिशिष्ठ''अ'' रास्ता घोषित किया जावे। विप्रार्थी वकील द्वारा प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये अपने जबाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत के बदिशा उतर में खसरा संख्या 218 में रास्ता मौजूद है उक्त भूमि सरकारी भूमि पूरी तरह से खुली पडी है जहां से प्रार्थी का आवगमन निरन्तर चालू है, प्रार्थी का आवगमन उक्त भूमि से चालू है ऐसी सूरत में वादग्रस्त खेत के लिये जब रास्ता मौजूद है तथा रास्ता उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है जो मौके पर स्पष्ट रूप से चालू हालात में है तथा मौके पर आज रोज भी रास्ता चल रहा है अतः विप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात के गहराई से अध्ययन व मनन किया। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट राजस्व/2022/346 दिनांक 28.03.2022 के संलग्न मौका फर्द 04.02.2022 का अध्ययन करने पर यह तथ्य ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवगमन हेतु सबसे नजदीकी रास्ता है जिसकी लम्बाई 20 मीटर (66 फीट) एवं चौडाई 4 मीटर (नया 2 गट्ठा) बनता है रास्ते में उपयोग में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल = 0.0080 हैक्टयर बनता है। इसके अलावा प्रार्थी के खेत में आवगमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। विप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब में प्रार्थी के खातेदार खेत में आवगमन हेतु खसरा संख्या 218 मे से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया गया । खसरा संख्या 218 सरकारी खाते में दर्ज है जिसकी किस्म गै.मु.वाला है जो प्रतिबन्धित श्रेणी के अन्तर्गत आता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 216 में में आवगमन हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 217 मे से तहसीलदार सिवाना के मौक फर्द के संलग्न बरंग गुलाबी ए से बी लम्बाई 20 मीटर (66 फीट) एवं चौडाई 4 मीटर (नया 2 गट्ठा) लम्बाई मे रास्ता घोषित किया जाता है।

प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार लम्बाई 20 मीटर (66 फीट) एवं चौडाई 4 मीटर (नया 2 गट्ठा में 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा। आदेशानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि में रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर तहसीलदार सिवाना द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा राशि के बराबर होगी।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थी को नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा, अगर प्रभावित पक्षकर उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। लम्बाई 20 मीटर (66 फीट) एवं चौडाई 4 मीटर (नया 2 गट्ठा) के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी।

पक्षकारन को इस प्रकार दर्ज 2 गट्ठा चौडे रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को लम्बाई 20 मीटर (66 फीट) एवं चौडाई 4 मीटर (नया 2 गट्ठा में रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द दिनांक 04.02.2022 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग गुलाबी ए से बी .तक दर्शाये अनुसार रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 11.04.22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

–वाचक / 2022 / 965 दिनांकः–16.05.2022

–::संशोधित आदेश::–

प्रकरण संख्या 164 / 2021 अनवान रतनाराम बनाम हीराचन्द वगैरा में निर्णय दिनांक 11.04.2022 को जारी आदेश में लिपिकीय त्रुटि से आदेश के पृष्ठ संख्या 03 में सहवन से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 217 के स्थान पर 216 अंकित कर दिया गया तथा विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 216 के स्थान पर 217 अंकित कर दिया गया। जिसे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उक्त त्रुटि को दुरस्त करते हुए निर्णय दिनांक 11.04.2022 के पेज संख्या 03 प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 216 के स्थान पर 217 व विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 217 के स्थान पर 216 पढा जावें।

उक्त आदेश मूल आदेश दिनांक 11.04.2022 का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(कुसुमलता चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)